88/xv - 08.04.2021

कार्यालय जनपद न्यायाधीश गाजीपुर।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 05 April, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए, सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर के पत्र दिनांकित 08-04-2021 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक मु०चि०अ०/कोविड-19/2021-22/127 दिनांक 08-04-2021 के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर, सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर परिसर व न्यायालय स्थित आवासीय परिसर को सेनिटाईज करने हेतु दिनांक 09-04-2021 को केवल मुख्यालय स्थित जनपद न्यायालय गाजीपुर बंद किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्यचिकित्साधिकारी, गाजीपुर, वाह्य स्थित न्यायालय मुहम्मदाबाद व सैदपुर के समस्त पीठासीन अधिकारीगण तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/ महासचिव को अविलम्ब भेजी जाए।

साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाय कि वे इसे जनपद न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें। प्रशासनिक कार्यालय, उक्त की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित करें।

8/4/21

दिनॉक : 08—04—2021

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर